

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक- 01, अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2022-23 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करती हैं ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2023 से लागू मानी जायेगी ।

आज्ञा से,



(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।